

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ-168/1/सा.प्र.वि./19/1697

भिलाई, दिनांक 31.12.19

// आदेश //

श्री रामदेव आ० श्री धनऊ राम, मजदूर की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 01.01.2020 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार पूर्व माह की अंतिम तिथि दिनांक 31.12.2019 को अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है।

उपायुक्त
नगर पालिक निगम
सामान्य प्रशासन विभाग
भिलाई
नगर पालिक निगम
भिलाई

पू.क्र./एफ-168/1/सा.प्र.वि./19/1698

भिलाई, दिनांक 31.12.19

प्रतिलिपि :-

1. महापौर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. जोन आयुक्त जोन क्रमांक 04, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रभारी सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
9. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. श्री रामदेव आ० श्री धनऊ राम, मजदूर नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

उपायुक्त
उपायुक्त
सामान्य प्रशासन विभाग
नगर पालिक निगम
भिलाई